

नगर निगम, पाली

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/PALI/FIRENOC/2025-26/64001
जारी दिनांक: 13-MAY-2026 वैधता दिनांक: 12-MAY-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: DAVID JOHN
आवेदक का पता: ST THERESAS CHURCH OPP. RAILWAY HOSPITAL
JODHPUR 342001

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SAINT PAULS SENIOR SECONDRY SCHOOL, 780/15, JODHPUR ROAD, PALI, RANI KHURD, PALI, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।
2. एक वर्ष के पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
3. बिल्डिंग के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
4. बिल्डिंग में लगे अग्निशमन यंत्रों को हमेशा चालू हालत में रखना होगा।
5. अग्निशमन यंत्रों को समयवधि में रिफिलिंग करवाने होंगे।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षण कर्मचारी रखने होंगे।
7. बिल्डिंग का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत (चालू हालत) नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जावेगा।
8. यदि राज्य सरकार / परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम/ उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
9. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की द्रष्टी में मान्य होगा।
10. बिल्डिंग में पानी का टैंक ऊपर व निचे बनाना होगा जिसका कनेक्शन उच्च वोल्ट पावर मोटर के साथ पर्याप्त पाइप लगाना होगा।
11. बिल्डिंग में साईन (सिग्नल) बोर्ड लगाने होंगे।
12. बिल्डिंग में आने व जाने के लिए रास्ता खुला रखना होगा।
13. बिल्डिंग में वाहनों को रखने के लिए पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
14. बिल्डिंग में व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली (जनरेटर) की व्यवस्था रखनी होगी।
15. बिल्डिंग में आपात सेवाओं के दूरभाष नंबर व धूम्रपान निषेध का साईन बोर्ड लगाना होगा।
16. व्यवस्थापक द्वारा बिल्डिंग के प्रस्तुत दस्तावेज एवं बिल्डिंग के मानचित्र अनुसार अलावा और निर्माण कार्य करने से पूर्व राज्य सरकार / परिषद द्वारा/ अग्निशमन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
17. बिल्डिंग के अंदर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अतिज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
18. रोप लैंडर व दो रस्सा बिल्डिंग के सभी टावर में टावर की ऊंचाई जितना हर समय बिल्डिंग में रखना होगा।
19. भूमि व बिल्डिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
20. आवेदक को बिंदु संख्या 1 से 19 तक पालना करनी होगी।



Signed by: Brajpal Singh Charan
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: PALI, Rajasthan
Date: 13/05/2026 13:31:07

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, पाली



4540297
KLHTSPLEM

कार्यालय नगर निगम, पाली (राज0)

(लालबहादुर शास्त्री टाऊन हॉल, सुरजपोल के पास, पाली-मारवाड़, पिनकोड-306401)
(टेली-फेक्स:-02932-221301, ई-मेल cmcpali@yahoo.com, वेब-साईट mcpali.com,)

क्रमांक/प.18()अग्नि/2026-27/444

दिनांक :- 11/07/26.

-: शुद्धि अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

प्रेषित :- SAINT PAULS SENIOR SECONDRY SCHOOL 780/15 JODHPUR ROAD PALI RAJASTHAN
विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।
प्रसंग :- कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र LSG/PALI/FIRENOC/2025-26/64001 दिनांक 17.01.2026 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय द्वारा SAINT PAULS SENIOR SECONDRY SCHOOL 780/15 JODHPUR ROAD PALI RANI KHURD, PALI RAJASTHAN जारी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में नाम के स्थान पर SAINT PAULS SENIOR SECONDRY SCHOOL 780/15 JODHPUR ROAD PALI RAJASTHAN नाम से पढ़ा जाये एवं जारी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 20 तक पालना करनी होगी।


अग्निशमन अधिकारी
खण्डाजी मीणा
नगर निगम पाली
अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, पाली

FIRESAFETYCERTIFICATE

No. LSG/PALI/FIRENOC/2025-26/64001

Dated: 13-MAY-2026

Certified that the SAINT PAULS SENIOR SECONDARY SCHOOL (name of the building or premises) at 780/15, JODHPUR ROAD, PALI RAJASTHAN

(address) comprised of 01 basement(s) and 2 Floors with All Buildings (upper floors) owned/ occupied by

St. Paul's Sr. Sec. School Pali (name of the institution) have complied

with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 16/04/2026 (date of

inspection) in the presence of KHUSHAL MEENA,

FIRE OFFICER PALI (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes NURSERY TO XII (X/XII) With effect from 13/05/2026 for a period of

2 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. This Certificate is valid for Two Years
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 13/05/2026 (date of issue) at Pali (place) by Fire Officer.
*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal 

Name : खुशाल मीणा

Designation : अग्निशमन अधिकारी

Name & Address of Department/ Office: नगर निगम, पाली

To

ST. PAUL'S SR. SEC. SCHOOL, PALI

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.